आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ।
1	2	3

23.07.2019

न्यायालय समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

ई0सी0 एक्ट वाद संख्या - 328/2018

राज्य (प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्णिया पूर्व)

.....-आवेदक

बनाम

1. **राम बिलास राम, पिता सुन्दर राम, सा0-काझा कोठी, थाना-के0नगर, जिला-पूर्णिया।**
2. **कैलाश साह, पिता स्व0 बाबूलाल साह, सा0-मधुरापुर, थाना-भवानीपुर, जिला-भागलपुर।**
3. **अजय साह, पिता जामुन साह, सा0-गरिमान टोला गुलाबबाग, थाना-सदर, जिला-पूर्णिया।**

.....-विपक्षीगण

आ दे श

प्रस्तुत वाद **सदर थाना कांड सं0-410/2018 दिनांक 25.07.2018 अंतर्गत जप्त 32.50 क्विंटल अरवा चावल, सिल पट्टा लाल धागा, सिल तोड़े गये बोरे का टैग एवं 30 खाली बोरा को** आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत् राजसात करने हेतु प्रारम्भ है। राजसात का प्रस्ताव **अनुमंडल पदाधिकारी, सदर के पत्रांक 804/आ0 दिनांक 11.09.18** द्वारा प्राप्त है। जप्त चावल श्री दयानंद यादव, अनुज्ञप्ति सं0-27/16 जन वितरण प्रणाली विक्रेता, पंचायत-डिमिया छतरजान, प्रखण्ड-पूर्णिया पूर्व के जिम्मेनामा पर रखा गया है। विपक्षीगण के विरूद्ध सिल पैकेट अरवा चावल बोरे का सिल तोड़ कर कालाबाजारी में बेचने के नियत से दूसरे बोरे में भरकर बेचने के प्रयास का आरोप लगाया गया है।

अभिलेख का अवलोकन किया। इस वाद में विपक्षी सं0-01 एवं 03 को संबंधित अंचल अधिकारी के माध्यम से नोटिस का तामिला कराया गया तथा विपक्षी सं0-02 को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया। निबंधित डाक से भेजा गया नोटिस इस प्रतिवेदन के साथ बिना तामिला के वापस आ गया कि विपक्षी सं0-02 बाहर रहते हैं। विपक्षी सं0-03 के द्वारा दिनांक 02.04.19 को अपना कारणपृच्छा समर्पित किया गया जो

अभिलेखबद्ध है। विपक्षी सं0-01 एवं 02 का कारणपृच्छा अप्राप्त है।विपक्षी सं0-03 का कथन है कि इस कांड में उन्हें फंसा दिया गया है। जप्त खाद्यान से उन्हें कुछ लेना देना नहीं है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक, ई0सी0एक्ट पूर्णिया द्वारा सरकार का पक्ष रखते हुए अवगत कराया गया कि नोटिस भेजने के बाद भी विपक्षी सं0-01 एवं 02 के द्वारा कारणपृच्छा समर्पित नहीं किया गया तथा विपक्षी सं0-03 के द्वारा जप्त अनाज पर दावा नही किया गया है। साथ ही किसी अन्य के द्वारा भी जप्त अनाज पर दावा नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्राप्त राजसात के प्रस्ताव पर निर्णय लिया जाना आवश्यक है।

विपक्षी सं0-03 से प्राप्त कारणपृच्छा, विद्वान विशेष लोक अभियोजक का कथन एवं राजसात हेतु प्राप्त प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जप्त खाद्यान्न के मामले में इस न्यायालय अन्तर्गत किन्ही के द्वारा अपना दावा प्रस्तुत नहीं किया गया। तद्नुसार इस मामले में विपक्षीगण का कृत्य बिहार सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001 (यथा संशोधित 2011) का उल्लघंन है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा-7 के अन्तर्गत दण्डनीय है।

अतः इस वाद अन्तर्गत **जप्त 32.50 क्विंटल अरवा चावल, सिल पट्टा लाल धागा, सिल तोड़े गये बोरे का टैग एवं 30 खाली बोरा** को राजसात करने का आदेश दिया जाता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा तत्संबंधी प्रावधानों के तहत् **अनुमंडल पदाधिकारी, सदर पूर्णिया** अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करेगें।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता,
पूर्णिया।

समाहर्त्ता,
पूर्णिया।